**भारत सरकार**
**रक्षा मंत्रालय**
**सैन्य कार्य विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4332**
**20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए**

## सेना में अपमान और शारीरिक बलप्रयोग के मामले

**4332. श्री धर्मबीर सिंह:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सेना में वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर कमांडिंग ऑफिसर्स (सीओ) द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अपमान और शारीरिक बलप्रयोग से संबंधित मामलों की जानकारी है और यदि हां, तो 2023-24 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जून 2023 के प्रथम सप्ताह में तत्कालीन सीओ द्वारा 60 आर्मर्ड रेजिमेंट में एक कैप्टन/मेजर के विरुद्ध इस प्रकार का अपमान और शारीरिक बलप्रयोग का मामला हुआ था और यदि हां, तो उक्त कृत्य से यूनिट का सौहार्दपूर्ण माहौल किस हद तक खराब हुआ है;

(ग) क्या प्रभावित कैप्टन/मेजर ने सीओ के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस कृत्य से सैन्य नुकसान हुआ, यूनिट की रणनीतिक गतिविधि खतरे में पड़ी और सीओ में कमांडिंग गुणों की कमी उजागर हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार को रोकने तथा संबंधित सीओ के कदाचार के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

**उत्तर**
**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क) से (ङ) जी, हाँ । इस अवधि के दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । सशस्त्र बलों में शिकायत निवारण के साथ-साथ अपेक्षित अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्य-प्रणाली मौजूद है । इससे कार्मिकों में मनोबल और सौहार्दपूर्ण भाव कायम रहता है ।

*****